राज्य परिवहन प्राधिकार, जयपुर

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 15850/2017 श्री रघुवीर सिंह पूत्र श्री धोकलराम बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.09.2017 को दिये गये आदेश का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम, 1998 की धारा 80(3) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन शीघ्र निस्तारित किये जाने की अधिकारिता रखता है अर्थात इस प्रकार से प्राप्त आवेदन को राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.6 एवं 5.7 के तहत निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावे। निर्णय में लिखा है कि "The application filed under Section 80 of the Act of 1988 is deserving of early disposal. It is therefore directed that the application filed under Section 80 of the Act of 1988 be disposed of by the State Transport Authority by a reasoned order and as expeditiously as possible but not later than one month from the date of receipt of a certified copy of this order.

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची श्री रघुवीर सिंह नें उनके वाहन संख्या RJ18 PA 8672 के लिए झुन्झुनु– उदयपुरवाटी अधिसूचित मार्ग संख्या (270) पर रिक्तियों की प्रत्याशा में अपने पूर्व धारित गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र में प्रसंगगत् मार्ग का सम्मिलितिकरण स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सीकर को प्रस्तुत किया। सचिव आर.टी.ए. ने अधिसूचित मार्ग होने की वजह से तथा रिक्तियों के विज्ञापित नहीं होने के कारण इन पर कार्यवाही नहीं की गई। इस वजह से याची माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उक्त याचिका में यह आदेश प्राप्त किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, प्राथी याची का आवेदन जरिये परिचलन पत्र 249 दिनांक 30.10.2017 सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार को विचारार्थ प्रेषित किया।

श्री रघुवीर सिंह के परिचलन पत्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 5.6 एवं 5.7 के आलोक में स्वीकृत किया जाता है। जिसके लिये पृथक से आदेश परिचलन पत्र में जारी किया गया है।

परमिट स्वीकृति के लिये चाहा गया मार्ग एक अधिसूचित मार्ग है जहां स्कोप का निर्धारण किया हुआ है। अधिसूचित मार्ग पर स्कोप निर्धारित होने के मध्येनजर पारदर्शिता को अपनाते हुए अन्य पक्षकारों एवं हितबद्ध आवेदकों के लिए इन रिक्तियों को विभागीय वेबसाईट पर एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के नोटिस बोर्ड पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 80(3) के अंतर्गत परमिट प्रकारान्तर (variation) हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुये 12.10.2017 को प्रदर्शित किया गया तथा आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 23.10.2017 रखी गयी। प्राप्त प्रकरणों पर दिनांक 29.11.2017 को परिवहन आयुक्त कार्यालय के भूतल कक्ष में अपरान्ह 2:30 बजे सुनवाई रखी गई। झुन्झुनु– उदयपुरवाटी (अधिसूचित मार्ग) पर वर्तमान में 01.18 का रिक्त स्कोप विद्यमान है।

इस विज्ञप्ति के अनुसरण में याची आवेदनकर्त्ता के आवेदन के अलावा सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, सीकर से जरिये एजेण्डा पत्र संख्या 2.11.58 दिनांक 13.11.2017 अंतर्गत धारा 80 (3) मोटरवाहन अधिनियम, 1988 मार्ग के प्रकारान्त हेतु चार आवेदन प्राप्त हुये, जिनके अनुसार आवेदक (1).श्री महेन्द्र सिंह (RJ18PA8328) 2015 (2)श्री राजेन्द्र कुमार (RJ10PA6064) जुलाई 2015 (3)श्री वीरेन्द्र सिंह (RJ18PA8687) अप्रेल 2016 (4)श्री प्रमोद कुमार मोदी (RJ18PB3161) मार्च 2016 के पूर्व धारित अनुज्ञापत्रों में प्रसंगगत मार्ग का दो एकल सेवा के लिये सम्मिलितिकरण आवेदित किया है।

SECRETARY

Scanned by CamScanner

साथ ही (5)श्री शिशुपाल सिहं (RJ18PA9471) (6).श्रीमति संगीता देवी(RJ18PA8617) 2016 (7)श्री चोथमल वर्मा (RJ23PA9023) (RJ23PB0318 के दौरान प्रस्तावित की गई) (8).श्री दयाल चंद्र बराला (06189) (केवल Invoice संलग्न)(9.)श्री सुरेन्द्र कुमार सामोता(बिना वाहन) (10)बंजरग लाल नेहु(बिना वाहन)(11)ओम प्रकाश(RJ18PA8904) अगस्त 2016 ने प्रसंगगत मार्ग पर नया अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है।

आवेदनो में सर्वोच्च वरीयता धारी (Most meritorious)आवेदकों के चयन के लिये वाहन का उच्चतर माडल कन्डीशन, वाहन विनिर्माण माह/वर्ष का नवीनतम होना एवं इनके समान होने पर Lastest पंजीयन तिथि को आधार मान कर वरीयता प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है।

अतः झुन्झुनु– उदयपुरवाटी अधिसूचित मार्ग पर शेष रिक्ति के लिये श्री चोथमल वर्मा द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तावित वाहन RJ23PB0318 मॉडल जुलाई 2017 पंजीयन दिनांक 28.11.2017 बैठक क्षमता 57 को प्राधिकार द्वारा अपनायी गयी अहर्ताआ एवं अधिमानो के मध्येनजर 10 एकल सेंवाओ के साथ गैर अस्थायी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है। (1)श्री महेन्द्र सिंह (RJ18PA8328) 2015(2)श्री राजेन्द्र कुमार (RJ10PA6064) जुलाई 2015(3) वीरेन्द्र सिंह (RJ18PA8687) अप्रेल 2016(4)प्रमोद कुमार मोदी (RJ18PB3161) मार्च 2016(5) शिशुपाल सिहं (RJ18PA9471) (6)श्रीमति संगीता देवी(RJ18PA8617) 2016(8) श्री दयाल चंद्र बराला (06189)(9) श्री सुरेन्द्र कुमार सामोता(बिना वाहन)(10) बंजरग लाल नेहु(बिना वाहन)(11) ओम प्रकाश(RJ18PA8904) अगस्त 2016 के आवेदन मार्ग पर रिक्तियो के अभाव में अस्वीकृत किये जातें है।

सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को आदेशित किया जाता है कि परमिट जारी करने से पूर्व निम्न की पालना सुनिश्चित की जाए:–

(vii) अनुज्ञापत्र जारी करते समय वाहन आवेदक के नाम पर हो।
(viii) सदस्य राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित संकल्प संख्याः एसटीए–03/2015 दिनांक
02.09.2015 में विहित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जाए।
(ix) जिस वाहनों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वह अनुज्ञापत्र जारी करते समय अन्य किसी अनुज्ञापत्र से कवर्ड न हो।
(x) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से किया जाए।
(xi) वाहनों के समस्त कर भुगतान की संतुष्टि की जाए।
(xii) किराया सूची एवं समय सारणी जारी की जाए व सेवाओं (Trips) का इन्द्राज अनुज्ञापत्र के दोनों भाग में किया जाए।
(vii) उपरोक्त वाहनों के संचालन स्थल नियत कर निर्धारित स्थल से संचालन किया जाना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को पारित किया गया।

(आर.सी.यादव)
सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार
जयपुर।

सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार,
सीकर

D:/tax/STA

Scanned by CamScanner